!! कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला करौली राज0 !!

प्रेस–नोट

दिनांकः– 15.07.2017

➢ ***वारन्टी गिरफ्तार –***

थाना बालघाट – दिनांक 15.07.2017 को रामदीन शर्मा स0उ0नि0 के द्वारा न्यायालय जेएम साहब टोडाभीम के कोर्ट केस नं0 49/07 सरकार बनाम रामनिवास कि पालना में वारंटी रामनिवास पुत्र गोविन्दा जाति मीणा निवासी भोपुर थाना बालघाट को भोपुर से गिरफ्तार किया गया।

➢ ***मोटर साईकिल चोर गिरफ्तार –***

थाना सदर हिण्डौन – दिनांक 14.07.2017 को गांव झारेडा में कुशराज पुत्र गुमानसिंह जाट निवासी शीशबाडा थाना सलेमपुर जिला दौसा अपने परिचित से मिलने आया था कि इतने में ही उसकी मोटरसाईकिल को कोई चुरा कर ले गया आदि पर मु0न0 383/17 धारा 379 आईपीसी में थाना सदर हिण्डौन पर पंजीबद्व कराया था जिसमें गोविन्द सिंह स0उ0नि0 ने कार्यवाही करते हुए गांव झारेडा से ही मय मोटरसाईकिल के चोर अशोक पुत्र हरजीराम जाति मीणा निवासी सोप थाना नादौती को 15.07.2017 को गिरफ्तार किया।

➢ ***07 जुआरी/सटोरिया गिरफ्तार 5100 रूपये जप्त –***

पुलिस अधीक्षक करौली, अनिल कयाल के निर्देशन में जिले में अवैध जुआ/सट्टा के विरूद्व चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 14 व 15.07.2017 को थाना सदर करौली, सदर हिण्डौन, सूरौठ द्वारा कार्यवाही करते हुए 07 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 5100/– रूपये जप्त करने में सफलता हांसिल हुई है।

थाना सदर करौली – दिनांक 14.07.2017 को हरफूल स0उ0नि0 को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि हनुमान मन्दिर में बंशी का बाग बरखेडा में कुछ लोग ताश के पत्तों पर रूपयों का दाव लगाकर जुआ खेल रहे है। उक्त सूचना पर आरोपी 1. प्रेमसिंह पुत्र छोटेलाल 2. होशियार पुत्र हरीलाल 3. बत्तू उर्फ अजय पुत्र पूरण जाति जाटव निवासी बंशी का बाग बरखेडा थाना सदर करौली को गिरफ्तार कर आरोपीयों के कब्जे से 52 पत्ता ताश व जुआ राशि 1700/– रूपये बरामद कर अभियोग संख्या 100/17 धारा 13 आर.पी.जी. ओ. में पंजीबद्व किया गया।

थाना सदर हिण्डौन – दिनांक 14.07.2017 को गोविन्द सिंह स0उ0नि0 को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि कटकड में कुछ लोग ताश के पत्तों पर रूपयों का दाव लगाकर जुआ खेल रहे है। उक्त सूचना पर कटकड से आरोपी 1. धर्मसिंह उर्फ बब्ली पुत्र भरतू 2. रामगिलास उर्फ मिन्टू पुत्र सूरजमल 3. निरंजन पुत्र शिवचरण सभी जाति मीणा निवासी कटकड थाना सदर हिण्डौन को गिरफ्तार कर आरोपीयों के कब्जे से 52 पत्ता ताश व जुआ राशि 2380/– रूपये बरामद कर अभियोग संख्या 382/17 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. में पंजीबद्व किया गया।

थाना सूरौठ – दिनांक 15.07.2017 को बनैसिंह स0उ0नि0 को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि हाडौली में एक व्यक्ति सट्टा की खाईवाली कर रहा है। उक्त सूचना पर हाडौली से आरोपी 1. गोपाल पुत्र रामोली कोली निवासी हाडौली थाना सूरौठ को गिरफ्तार कर आरोपीयों के कब्जे से सट्टा पर्ची व सट्टा राशि 1020/– रूपये बरामद कर अभियोग संख्या 173/17 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. में पंजीबद्व किया गया।

➢ ***शराब पीकर उत्पात मचाने पर 02 व्यक्ति गिरफ्तार –***

थाना मासलपुर – दिनांक 14.07.2017 को विजयसिंह स0उ0नि0 के द्वारा दौराने गस्त सकरघटा मोड पर शराब पीकर उत्पात मचाने पर आरोपी 1. रोहित पुत्र मानसिंह 2. देशराज पुत्र बचनसिंह जाति गुर्जर निवासी कैंडना का पुरा थाना मासलपुर को धारा 510 आईपीसी में गिरफ्तार किया गया।

थाना श्रीमहावीर जी – दिनांक 14.07.2017 को बदनसिंह हैड कानि0 92 के द्वारा दौराने गस्त देवनारायण मन्दिर पर शराब पीकर उत्पात मचाने पर आरोपी 1. अकलेश पुत्र जोखराम जाति मीणा निवासी कोडिया थाना श्रीमहावीरजी को धारा 510 आईपीसी में गिरफ्तार किया गया।

- ***शराब पीकर वाहन चलाने पर 01 व्यक्ति गिरफ्तार –***

थाना मासलपुर – दिनांक 14.07.2017 को विजयासिंह स0उ0नि0 के द्वारा दौराने गस्त सकरघटा पर शराब पीकर मोटरसाईकिल चलाने पर आरोपी 1. चेतराम पुत्र ओमसिंह जाति गुर्जर निवासी पहाडी थाना सदर करौली को धारा 185 एमवी एक्ट में गिरफ्तार कर मोटरसाईकिल को 207 एमवी एक्ट में जप्त किया गया।

- ***शांति भंग करने पर 06 व्यक्ति गिरफ्तार –***

थाना हिण्डौन सिटी– दिनांक 14.07.2017 को वीरेन्द्र हैड कानि0 15 के द्वारा मण्डावरा रोड हिण्डौनसिटी में दौराने गस्त गाली गलोंच कर उत्पात मचाने तथा मरने मारने पर उतारू होने पर एवं पुलिस द्वारा काफी समझाईस करने पर, नहीं मानने पर आरोपी 1. मनीष पुत्र देवीलाल राणा निवासी लुधावई थाना सेवर 2. वीरेन्द्र पुत्र किशोरीलाल राणा निवासी मण्डावरा रोड हिण्डौनसिटी को धारा 151 सी.आर.पी.सी. में गिरफ्तार किया गया।

थाना नादौती – दिनांक 14.07.2017 को बनैसिंह हैड कानि. 12 के द्वारा दौराने जांच परिवाद गाली गलोंच कर उत्पात मचाने तथा मरने मारने पर उतारू होने पर एवं पुलिस द्वारा काफी समझाईस करने पर, नहीं मानने पर आरोपी 1. धीरज 2. मिथलेश पुत्रान गोपाललाल 3. मनीष पुत्र रामबाबू जाति ब्राह्मण निवासी नादौती को धारा 151 सी.आर.पी.सी. में गिरफ्तार किया गया।

थाना सपोटरा– दिनांक 14.07.2017 को सुरजीत कुमार उ0नि0 प्रोबेशनर के द्वारा दौराने गस्त गाली गलोंच कर उत्पात मचाने तथा मरने मारने पर उतारू होने पर एवं पुलिस द्वारा काफी समझाईस करने पर, नहीं मानने पर आरोपी 1. देशराज उर्फ बलबीर पुत्र कमराज जाति मीणा निवासी ढाबरा थाना सपोटरा को धारा 151 सी.आर.पी.सी. में गिरफ्तार किया गया।